राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1644/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड – यूनिट जय महल पैलेस होटल, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणि. कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–4, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/08/2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–140/AA-1/Stay/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.12.2015 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लिकर व स्मोक की करमुक्त बिक्री की गयी है, किन्तु उक्त माल की खरीद पर चुकाये गये वट का आई.टी.सी. चाहा गया है, साथ ही करमुक्त विक्रय किये गये माल के विनिर्माण हेतु क्रय किये गये कच्चे माल पर आई.टी.सी. क्लेम किया गया है। इसके अतिरिक्त प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एवं ऑफिस इक्यूपमेंट्स का विक्रय किया गया है, जिस पर कर नहीं चुकाया गया है। सहायक आयुक्त, विशेष वृत–IV, जोन–III, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत दिनांक 26.05.2016 सपठित आदेश दिनांक 30.05.2016 अन्तर्गत धारा 33 वेट अधिनियम, पारित करते हुए कुल कर रूपये 45,28,682/–, ब्याज रूपये 31,88,724/– व शास्ति रूपये 90,57,364/– सहित कुल रूपये 1,67,74,770/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग राशि में से रूपये 1,63,21,902/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 90,57,364/– की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया गया तथा कर व ब्याज की राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 72,64,538/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1644/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड – यूनिट जय महल पैलेस होटल, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणि. कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–4, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/08/2016	अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपना अनुपयोगी/पुराना सामान स्क्रेप के रूप में विक्रय किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की कर देयता नहीं बनती है। अपीलार्थी का होटल व्यवसाय है, ना कि प्लांट मशीनरी, फर्नीचर व ऑफिस इक्यूपमेंट विक्रय का व्यापार करना। विद्वान अभिभाषक ने वेट अधिनियम की धारा 2(6) "Business" की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि व्यवहारी का कृत्य व्यापार की श्रेणी में नहीं आने के कारण इनके विक्रय पर किसी प्रकार की करदेयता नहीं बनती है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने केवल शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की राशि को वसूलनीय अवधारित किया है, जिसका कोई ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने तथा अवशेष राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया – (1) (1967) 19 एस.टी.सी. 01 (एस.सी.) स्टेट ऑफ गुजरात बनाम रायपुर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड; (2) (1995) 99 एस.टी.सी. 117 (बॉम्बे) मोरारजी ब्रदर्स (इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट) प्रा0 लि0 बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र; (3) (1999) 116 एस.टी.सी. 21 (उड़ीसा) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा; (4) (2000) 119 एस.टी.सी. 330 (इलाहाबाद) कमिश्नर, सेल्स टैक्स यू.पी. , लखनऊ बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं0 लिमिटेड; (5) 4 टैक्स अपडेट 300 (रा.क.बो.) मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा; (6) 6 टैक्स अपडेट 291 (रा.क.बो.) मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड, झालावाड़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, कोटा; लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1644/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड – यूनिट जय महल पैलेस होटल, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणि. कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–4, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/08/2016	(7) 36 टैक्स अपडेट 173 (रा.क.बो.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर बनाम गुरूकृपा एजेंसीज, चांगचितार रोड़, ब्यावर; (8) 43 टैक्स अपडेट 128 (रा.क.बो.) मैसर्स कानूनगो एलायंज प्रा0 लि0, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर; एवं (9) (2003) 2 आर.टी.आर. 243 (रा.क.बो.) मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड, कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा करमुक्त माल का विक्रय किया गया है, अतः व्यवहारी करमुक्त माल के विक्रय पर आई.टी.सी. क्लेम करने का पात्र नहीं है। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 2(6) "Business" में निम्न अंकन किया गया है :– (6) **"business"** includes– (i) any trade, commerce or manufacture; or (ii) any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture – whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit, and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; or (iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; or (iv) any transaction in connection with or incidental or ancillary or consequential to the commencement or closure of such business; or (v) any occasional transaction in the nature of such trade, commerce, manufacture, adventure or concern whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction; लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1644/2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड – यूनिट जय महल पैलेस होटल, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणि. कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–4, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/08/2016	उक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी का कृत्य व्यापार की श्रेणी में आता है, अतः व्यवहारी, उसके द्वारा बिक्रीत माल पर कर अदा करने हेतु दायित्वाधीन है। व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल की बिक्री करमुक्त किये जाने में स्पष्ट रूप से करापवंचन का प्रयास किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत सृजित शास्ति की सीमा तक स्थगन प्रदान किया जाकर अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं बताते हुए अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये – **(1) (1988) 71 एस.टी.सी. 101 (मध्यप्रदेश) हुकुमचन्द मिल्स लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, एम.पी.** **(2) (1988) 71 एस.टी.सी. 125 (केरला) उपायुक्त, सेल्स टैक्स (लॉ), बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (टैक्सेज) एर्नाकूलम बनाम रूबी रबर वर्क्स लिमिटेड** **(3) (1988) 71 एस.टी.सी. 231 (राज.) राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर** **(4) (1985) 58 एस.टी.सी. 75 (राज.) श्रीगोपाल इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान – निम्न व्यवस्था दी गयी है :–** Where the assessee carrying on the business of manufacture of cotton yarn which was its principal business, decided to modernise its plant and in that connection sold iron and steel defectives, used machinery and spare parts : Held, that the sales by the assessee of machinery, iron and steel defectives and spare parts could be considered as "business" within the meaning of section 2(cc) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954. उभय पक्ष की बहस पर मनन करने; अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अध्ययन के पश्चात, प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी **लगातार.....5**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1644 / 2016..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड – यूनिट जय महल पैलेस होटल, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणि. कर, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत–4, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 5 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 08 / 2016	के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	